FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

सवाईराम बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० वा० 88, 188 RTAct नं. 69/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/05/18	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88, 188 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 01/06/2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01/06/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्रा.पं. पंचायत पन्नावड़ा में रखी गई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित जिनकी ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या-3 स्वयं उपस्थित। वादीगण की ओर से वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 वादी स्वयं का शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह PW-2- शंकरराम पुत्र मंगलाराम जाति- दर्जी निवासी- मीठीया/मता (हस्ताक्षर)	सवाईराम ह. नि. शंकरराम ह. नि. खेताराम

Scanned by CamScanner

पनावड़ा के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो. दर्ज नम्बर से कम हो. दाखिल दफ्तर हो।

कलक्टर (SDO)
बायतु

प्रतिवादी श्री [illegible] [illegible] ... [illegible]

C.T.I
रेवत

न्यायालय उप

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018)

राजस्व वाद संख्या– 69/2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प–पनावड़ा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. सवाईराम पुत्र खेताराम जाति–दर्जी, निवासी–मीठियासरा, पनावड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र तगाराम जाति दर्जी, निवासी मीठियासरा, पनावड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 2. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, बायतु 3. तहसीलदार, बायतु

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

–: निर्णय :– **दिनांक : 01/06/2018**

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा मीठियासरा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 352, 450/386, 454/390 रकबा कमशः 05.10, 18.19, 14.07 बीघा कुल रकबा 38.16 बीघा में आई हुई है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही पूर्वज तगाराम के वंशज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा स्व. तगाराम के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा तगाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/2–1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त समस्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को कैम्प में सुना गया एवं वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 स्वयं का 1/2 हिस्सा घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा स्व. तगाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा तगाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण स्व. तगाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मीठियासरा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 352, 450/386, 454/390 रकबा क्रमशः 05.10, 18.19, 14.07 बीघा कुल रकबा 38.16 बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी का हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ–साथ संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पनावड़ा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
([illegible] चौहान)
पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,
एवं पदेन, सहायक कलक्टर, बायतु

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प पनावड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री हेताराम चौहान R.A.S.

अनवान्

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. सवाईराम पुत्र खेताराम जाति–दर्जी, निवासी–मीठियासरा, पनावड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र तगाराम जाति दर्जी, निवासी मीठियासरा, पनावड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 2. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, बायतु 3. तहसीलदार, बायतु

<u>दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या– 69/18. **निर्णय दिनांक :– 01.06.2018**

वादी की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में (नाम पीठासीन अधिकारी) हेताराम चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मीठियासरा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 352, 450/386, 454/390 रकबा कमशः 05.10, 18.19, 14.07 बीघा कुल रकबा 38.16 बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी का हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ–साथ संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
(हेताराम चौहान)
पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,
एवं पदेन, सहायक कलक्टर, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner